हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) अधिनियम, 2018

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।
3. आयोग के अतिरिक्त कृत्य।
4. संस्थानों के लिए की गई भर्ती का पुनर्विधिमान्यकरण।
5. आयोग द्वारा सरकार को विवरणियां आदि प्रस्तुत करना।
6. अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति।
7. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।
8. नियम बनाने की शक्ति।
अनुसूची।

———————

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) अधिनियम, 2018

(2018 का अधिनियम संख्यांक 9)[1]

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 10 अक्तूबर, 2018 को अधिप्रमाणित किया गया और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 17 अक्तूबर, 2018 को पृष्ठ संख्या 5646 से 5654 पर प्रकाशित किया गया)

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को, व्यक्तियों की भर्ती के सम्बन्ध में सिफारिशें करने और विभिन्न संस्थानों में सेवाओं के बारे में, अतिरिक्त कृत्य सौंपने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. **सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

———————————

1. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पास किया गया। उद्देश्यों और कारणों के कथन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 01 सितम्बर, 2018 पृष्ठ संख्या 4409, 4410 और 4413 देखें।

2. **परिभाषाएं**.—इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''आयोग'' से, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ख) ''सरकार या राज्य सरकार'' से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ग) ''संस्थान'' से, कोई प्राधिकरण, बोर्ड, निगम, निगमित निकाय या अनुसूची में यथा सम्मिलित कोई अन्य संस्थान अभिप्रेत है;

(घ) ''अधिसूचना'' से, राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ड.) ''विहित'' से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(च) ''अनुसूची'' से, इस अधिनियम से सलंग्न अनुसचूी अभिप्रेत है; और

(छ) ''राज्य''से, हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है।

3. **आयोग के अतिरिक्त कृत्य**.—(1) किसी सस्थान के कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों से सम्बन्धित किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) सम्बद्ध प्रशासनिक विभाग के माध्यम से विहित रीति में किए गए अनुरोध पर, आयोग का यह कर्त्तव्य होगा कि ऐसे सस्थान की समूह 'क', 'ख' या 'ग' सेवा की भर्ती हेतु सिफारिशें करना या भर्ती करने के लिए परीक्षाएं/साक्षात्कार सचांलित करना;

(ख) आयोग से विहित रीति में प्रशासनिक विभाग के माध्यम से परामर्श किया जा सकेगा,—

(i) किसी संस्थान की भर्ती और सेवा की शर्तों से सम्बन्धित समस्त मामलों पर;

(ii) किसी सस्थान की सेवाओ ंके लिए नियुक्तियां करने में और एक सेवा से अन्य सेवा में प्रोन्नतियां करने में तथा ऐसी नियुक्तियों या प्रोन्नतियों के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर अनुसरित किए जाने वाले सिद्धान्तों पर;

(iii) किसी संस्थान के अन्तर्गत सेवारत किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले समस्त अनुशासनात्मक मामलों, जिनके अन्तर्गत ऐसे मामलों से सम्बन्धित अभ्यावेदन और याचिकाएं भी हैं, पर;

(iv) कोई व्यक्ति, जो किसी संस्थान में सेवारत है या जिसने उसमें सेवा की है, अपने कर्त्तव्य के निष्पादन में किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित कार्यों की बाबत उसके विरुद्ध संस्थित विधिक कार्यवाहियों के प्रतिवाद में उस द्वारा या उसकी ओर से उपगत कोई लागत ऐसे संस्थान की निधियों में से संदाय करने के किसी दावे पर;

(v) किसी व्यक्ति को संस्थान में सेवा करते समय क्षति होने के सम्बन्ध में पेंशन का अधिनिर्णयन करने के लिए किसी दावे पर और ऐसे अधिनिर्णय की रकम के सम्बन्ध में किसी प्रश्न पर;

और आयोग का यह कर्त्तव्य भी होगा कि उसको इस प्रकार निर्दिष्ट किसी मामले पर और संस्थानों के कर्मचारियों से संबंधित किसी अन्य मामले, जिसे सरकार उसे निर्दिष्ट करे, में सलाह देने परः

परन्तु सरकार अधिसूचना द्वारा उन मामलों को, जिनमें आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं होगा या तो साधारणतया या मामलों की किसी विशिष्ट श्रेणी या किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) किसी मामले पर आयोग और संस्थान के बीच किसी मतभेद की दशा में, संबद्ध संस्थान मामला सरकार को निर्दिष्ट करेगा और उस पर सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

4. **संस्थानों के लिए की गई भर्ती का पुनर्विधिमान्यकरण.**—इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व किसी संस्थान के सन्दर्भ मे ं आयोग द्वारा की गई भर्तियो ं पर सिफारिशें इस अधिनियम के अधीन पुनर्विधिमान्यकरण की गई समझी जाएंगी।

5. **आयोग द्वारा सरकार को विवरणियां आदि प्रस्तुत करना.**—आयोग ऐसी विवरणियां, अभिलेख और सूचना आदि, जो विहित की जाए, सरकार को प्रस्तुत करेगा।

6. **अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति.**—राज्य सरकार लोक सेवा आयोग से परामर्श के पश्चात्, राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में किसी प्रविष्टि को जोड़ सकेगी या उसका लोप कर सकेगी या अनुसूची को अन्यथा संशोधित कर सकेगी और तदुपरि अनुसूची संशोधित की गई समझी जाएगी।

7. **अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.**—इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी, या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

8. **नियम बनाने की शक्ति.**—(1) सरकार, आयोग के परामर्श से और अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे,—

(क) संस्थान या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा आयोग से परामर्श करने के लिए अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया;

(ख) कोई मामला, जो आयोग के साथ परामर्श करने के प्रयोजन के लिए आनुषंगिक या आवश्यक हो;

(ग) आयोग द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों, अभिलेखों और सूचना आदि के लिए; और

(घ) कोई अन्य मामला जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन नियम बनाए जाएं।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब यह कम से कम पन्द्रह दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक या दो आनुक्रमिक सत्रो में परूी हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के, जिसमें यह इस प्रकार रखा गया है, सत्र के ठीक अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई उपान्तरण करती है या विधान सभा विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो वह नियम, यथास्थिति, ऐसे उपान्तरित रुप में ही प्रभावी होगा या वह निष्प्रभाव हो जाएगा। तथापि, ऐसे किसी उपान्तरण या बातिलीकरण से तद्धीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

———————

अनुसचूी

(धारा 2(च) और धारा 6 देखें)

1. हिमाचल प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम (एच आर टी सी)।
2. हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एच पी बी सी एफ डी सी) ।
3. हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम (एच पी एफ सी)।
4. हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम (एच पी जी आई सी) ।
5. हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम सीमित।
6. हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम (एच पी के वी एन)।
7. हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम।
8. हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम (एच पी पी सी एल)।
9. हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम (एच पी एस सी एस टी डी सी)।
10. हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (एच पी एस सी एस सी)।
11. हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सीमित (एच पी एस ई डी सी)।
12. हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम सीमित (एच पी एस एफ सी)।
13. हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तकला और हथकरघा निगम सीमित (हिमक्राफ्ट)।
14. हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित (एच पी एस आई डी सी)।
15. हिमाचल प्रदेश सड़क और अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित (एच पी आर आई डी सी)।
16. हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एच पी टी डी सी)।
17. राज्य में नगर निगम।

18. हिमाचल प्रदेश विद्युत पारेषण निगम सीमित (एच पी पी टी सी एल)।
19. हिमाचल प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन।
20. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध–उत्पादन प्रसंघ सीमित।
21. हिमाचल प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड।
22. हिमाचल प्रदेश शिशु–कल्याण परिषद्।
23. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला (एच पी बी ओ एस ई)।
24. हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य अवसरं चना सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
25. हिमाचल प्रदेश अवसंरचना विकास बोर्ड।
26. हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड।
27. हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड।
28. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (एच पी एस ई बी)।
29. हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड।
30. हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला।
31. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता प्रसंघ।
32. हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण।
33. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीमित।
34. जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित।
35. कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित।
36. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सीमित।